न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–1, पीलीभीत ।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–339/2026

अपराध संख्या–56/2026

अकरम पुत्र सूखा निवासी मोहल्ला कुरैशियान शेरपुर कलां थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

धारा–109 बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम
थाना–पूरनपुर, जिला पीलीभीत।

दिनांकः 09.03.2026

अभियुक्त अकरम पुत्र सूखा निवासी मोहल्ला कुरैशियान शेरपुर कलां थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत उपरोक्त की ओर से अपराध संख्या–56/2026 अन्तर्गत धारा 109 बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत में जमानत प्रार्थनापत्र दौरान विचारण जमानत पर रिहा किये जाने के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरूद्ध है ।

2. संक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार पाण्डेय की तहरीर/फर्द बरामदगी के आधार पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज की गयी कि प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार पाण्डेय मय पुलिस कर्मचारीगण दिनॉक 11.02.2026 को समय 22.13 बजे जब गश्त मे थे और थाना भगवंतापुर चुंगी पर पहुंचे तो उनको मुखबिर से सूचना मिली कि आपके यहां जो अभी गौकशी की घटना हुई है उससे सम्बंधित अभियुक्त आज पुनः गौकशी की घटना कारित करने के लिए भगवन्तापुर की तरफ से मोटरसाईकिल से आ रहे हैं जिनके पास नाजायज अस्लहे व पशु काटने के उपकरण भी है। कुछ देर इंतेजार करने पर चैकिंग के दौरान एक मोटरसाईकिल भगवंतापुर की ओर से आती दिखायी दी। पुलिस वालो को देखकर उक्त मोटरसाईकिल चालक ने सड़क पर बांयी तरफ जंगल की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते की ओर मोड़ दी कच्चे रास्ते मे गढ़्ढा और तेज रफतार होने के कारण उक्त मोटरसाईकिल सवार मय मोटरसाईकिल के गिर गए और आपस मे बोले कि पुलिस है गोली मारो नही तो पकड़े जाओगे। दोनो ने एक साथ पुलिस वालो पर जान से मारने की नियत से दो कारतूस फायर किए पुलिस वालो ने सिखलाये हुए तरीके से अपने आप को बचाते हुए आत्मसमर्पण के लिए ललकारा लेकिन उक्त दोनो व्यक्ति नही माने और पुनः पुलिस वालो पर जान से मारने की नियत से लगातार तीन कारतूस फायर किए तभी प्रभारी निरीक्षक द्वारा आत्मप्रतिरक्षार्थ अपनी सर्विस पिस्टल से दो राउड फायर किए, उपनिरीक्षक मनोज यादव द्वारा अपनी सरकारी पिस्टल से एक राउंड व उपनिरीक्षक अनुज कुमार द्वारा अपनी सरकारी पिस्टल से एक राउंड आत्मरक्षा मे किये तभी उक्त बदमाशो के करहाने की आवाज आयी और बोले कि हम लोगो के गोली लगी है। पुलिसबल जब दोनो व्यक्तियो के पास पहुंचा तो एक ने अपना नाम अकरम बताया जिसके दाहिने हाथ से एक तमंचा 315 बोर, दो अदद कारतूस जिंदा व एक अदद खोका कारतूस 315 बोर बरामद हुआ तथा दूसरे ने अपना नाम कामिल उर्फ मुरादी

बताया इसके दाहिने हाथ से एक अदद तमंचा 12 बोर जिसकी नाल मे एक खोका कारतूस 12 बोर फंसा था तथा दो अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुए।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक/अभियुक्त को प्रस्तुत मामले मे झूठा फंसाया गया है। उसके विरूद्ध लगाये गये समस्त आरोप झूठे व मनगढ़न्त है। वास्तव मे प्रार्थी द्वारा कोई अपराध नही किया गया और न ही किसी पुलिस कर्मी पर कोई हमला किया गया था एवं न ही प्रार्थी के पास से कोई नाजायज अस्लाह बरामद हुआ था। उपरोक्त घटना पुलिस मुठभेड़ से सम्बंधित दर्शायी गयी है जिसमे किसी पुलिसकर्मी के कोई चोट नही आयी है। कथित घटना एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नही है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त वाद मे दिनॉक 12.02.2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है। अतः उसको उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अभियोजन द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क किया गया है कि अभियुक्त एवं अन्य सह अभियुक्त द्वारा पुलिस बल पर कई राउंड फायर किए गए जिससे पुलिस बल बाल बाल बच गया अन्यथा किसी भी पुलिस कर्मचारी की मृत्यु हो सकती थी। अभियुक्त एवं सह अभियुक्त के पास से नाजायज अस्लाह तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। अतः अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने योग्य है।

5. मैनें अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्को को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त एवं सह अभियुक्त द्वारा पुलिस पर पहले दो फायर करना फिर तीन फायर करना दर्शित किया गया है। घटना मे किसी पुलिस कर्मचारी के न तो आग्नेयास्त्र की कोई चोट आना दर्शित किया गया है और न ही कोई पुलिस कर्मचारी घायल हुआ है। अतः उक्त परिस्थितियो मे जबकि अभियुक्त प्रस्तुत मामले मे दिनॉक 12.02.2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है, मामले के गुणदोष पर कोई विचार किए बिना अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त अकरम पुत्र सूखा निवासी मोहल्ला कुरैशियान शेरपुर कलां थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत का जमानत प्रार्थनापत्र उसके द्वारा मु. 50,000रू. के दो जमानतीं एवं समानराशि का बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर स्वीकार किया जाता है।

(विजय कुमार डुंगराकोटी)

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं. 1

पीलीभीत।

जे.ओ.कोड यू.पी.6156